न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कामां

इजलास श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

ुकदमा नं0 18/2021

। हरिकृपा आश्रम ट्रस्ट समिति चित्रकूट रामनगर (नैनीताल) जरिये संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक ामी हरिचैतन्यपुरी महाराज श्री हरिकृपा आश्रम विमल कुण्ड कामवन (कामां) जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

हसीलदार कामां जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 14.12.2021

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 6225/1.49 हैक्ट0 बंजड कदीम (पुराना) व 2274/1.39, 2275/0.10(नया नम्बर) वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3 तहसील कामां में स्थित है । खसरा नम्बर 6225/1.49 का एक नम्बर था जो हरिकृपा आश्रम ,चित्रकूट रामनगर (नैनीताल) की रिकार्ड काश्तकार ,खातेदारी का रकवा था जिसका रूपान्तरण खातेदारी संस्था द्वारा मुताबिक प्रकिया कानून के तहत कराया गया जिसके बाद राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण रकवा 1.49 हैक्ट0 पर निवास स्थान व बस्तियां तथा बाद रूपान्तरण बाउण्ड्रीबाल समस्त जायदाद की कर ली गई । जिस पर वर्तमान में श्री हरिकृपा आश्रम कामवन का मन्दिर सन्त निवास सत्संग भवन गौशाला औषधीय बगीचा पार्किंग आदि बने हुये हैं । जिसका उपयोग श्री हरिकृपा आश्रम द्वारा पुण्यार्थ व धार्मिक कार्यो के लिए किया जा रहा है । जिसका पट्टा भी नगरपालिका कामां द्वारा संस्था के हक में जारी किया हुआ है । जिसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं है । सैटिलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो पडताल की गई व बिना मौके व बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के करके प्रार्थी संस्था की बाउण्ड्रीशुदा व रूपान्तरण शुदा भूमि को दो भागों में विभक्त करके 1.39 निवास स्थान व बस्ती तथा 0.10हैक्ट0 को गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दिया । जबकि खसरा नम्बर 2276 नम्बर में सडक पुख्ता व परिकमा मार्ग है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत राजस्व रिकार्ड में अंकन व नक्शे में अंकन की जानकारी दिनांक 18.
0.2021 को कम्प्युटर से नकल व नक्शा निकलवाने पर हुई । जिसे तहसीलदार कामां दुरूस्त करने
के लिए कहा तो टालम टोल करते रहे । अतः खसरा नम्बर 2274/1.39 व 2275/0.10 के जो भाग
पृथक पृथक किये गये हैं । उन्हें एक ही नम्बर 1.49 हैक्ट0 किया जावे । व खसरा नम्बर 2275/0.
10 हैक्ट0 जिसे गैर मुमकिन सडक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है को निवास स्थान व बस्तियां
दर्ज किया जावे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस जारी किया गया । गैर सायल तहसीलदार कामां के द्वारा जबाव पेश किया कि कस्बा कामां नं03 संवत् 2067-70 के खाता संख्या 838 हरिकृपा आश्रम ट्रस्ट समिति चित्रकूट रामनगर (नैनीताल)खातेदार जो इ0नं0 2868 दिनांक 29.4.2018 भूमि अवाप्ति से महकमा सरकार सिवायचक निवास स्थान एवं बस्तियां नगरपालिका कामां दर्ज रिकार्ड है । साबिक ख0नं0 6225 रकवा 1.49 दर्ज रिकार्ड है । जिसकी किस्म बजड कदीम है । सेटलमेन्ट मिलस कामां नं0 3 के खाता संख्या 712 पर हरिकृपा आश्रम ट्रस्ट समिति 545 नार्थ ईदगाह आगरा (उ0प्र0)खातेदार खसरा नम्बर 2274 रकवा 1.39 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय व 2275 रकवा 0.10 हैक्ट0 किस्म गैरमु0 सडक दर्ज रिकार्ड है । हाल जमाबन्दी सं0 2074-77 के खाता सं0 353 निवास स्थान एवं बस्तियां नगरपालिका कामां खसरा नम्बर 2274/1.39 किस्म बारानी 2 ख0नं0 2275/0.10 में गैर मुमकिन सडक है। मौके पर आराजी ख0नं0 साबिक 6225 रकवा 1.49 व नवीन नम्बर 2274/1.39, 2275/0.10 में चार दीवारी हो रही है । जिसमें दर्शायी गयी गैर मुम0 सडक मौके पर नहीं है । नक्शा में आ0ख0नं0 2276 गैर मुम0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है इसके सहारे सहारे आखनं0 2275 रकवा 0.10 हैक्ट0 बनाया गया है । मौके पर यह रास्ता नहीं है । खसरा नम्बर 2274/1.39, 2275/0.10 में चार दीवारी हो रही है । सैटलमेन्ट द्वारा बनाया गया नम्बर मौके के मुताबिक नहीं है खसरा नम्बर 2274/1.39, 2275/0.10 को निवास स्थान एवं बस्तियां नगरपालिका शुद्ध किया जाना उचित है ।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074-2077, खसरा नक्शा, जमाबन्दी सं0 2067-2070 मिलान खसरा की नकल सलग्न की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट एवं जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजों का मनन किया । खसरा नम्बर 6225 रकवा 1.49 हैक्ट किस्म बजड कदीम इ0नं0 2868 दिनांक 29.4.2013 भूमि आवाप्ति मकबूजा सरकार सिवायचक निवास स्थान एवं बस्तियां नगरपालिका दर्ज है । सैटलमेन्ट के द्वारा खसरा नम्बर 6225 रकवा 1.49 के दो नम्बर नया नम्बर 2274/1.39 किस्म बारानी एवं 2275 रकवा 0.10 किस्म गैमु0सडक दर्ज की है । जबकि तहसीलदार कामां ने मौके जांच कर रिपोर्ट में बताया कि खसरा नम्बर 2274/1.39 व 2275/0.10 हैक्ट में से दो नम्बर 2274/1.39 में चार दीवारी हो रही है । गैर0मु0 सडक नहीं है । अतः तहसीलदार कामां की मौके की रिपोर्ट के मुताबिक एवं दस्तावेज के आधार पर खसरा नम्बर 6225 रकवा 1.49 के दो नम्बर नया नम्बर 2274/1.39 किस्म बारानी एवं 2275 रकवा 0.10 किस्म गैमु0सडक के स्थान पर मकबूजा सरकार सिवायचक निवास स्थान एवं बस्तियां नगरपालिका दर्ज जाना उचित समझते है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

Scanned with CamScanner

अतः आदेश दिया जाता है , कि खसरा नम्बर 6225 रकवा 1.49 के दो नम्बर नया 74/1.39 किस्म बारानी एवं 2275 रकवा 0.10 किस्म गु.मु. सडक दर्ज की है । खसरा बर 2275/0.10 हैक्टर किस्म गै.मु. सडक के स्थान पर मकबूजा सरकार सिवाय चक वास स्थान एवं बस्तियां नगरपालिका दर्ज किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner